

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-979/2012

संस्थित दिनांक-03/12/2012

फाईलिंग क्र.234503002282012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

समहारु पिता दादूलाल परते उम्र 50 वर्ष
जाति गोंड साकिन परसाटोला
थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-20/12/2017 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-03/11/2012 को शाम 05:30 बजे ग्राम परसाटोला ज्ञानी गोंड के घर के सामने मेन रोड थाना गढ़ी अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी रमाशंकर को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी को धारदार नाखून से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर, संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रमाशंकर सोनी ने पुलिस थाना गढ़ी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि घटना दिनांक को शाम करीब 05:30 बजे वह खेत में मवेशी चरा रहा था। तभी परसाटोला का मुन्ना उर्फ समारु गोंड मादर चोद बहन चोद, तेरी मां को चोदू की गंदी-गंदी गालियां देकर कहने लगा था कि वह फरियादी को जिंदा नहीं रहने देगा फरियादी को जान से मार देगा और फरियादी के खेत की फसल को मवेशियों से चरा देगा कहते हुए फरियादी को हाथ मुक्के से मुह व चहरे में मारा था एवं फरियादी को जमीन में पटककर गला दबाने लगा था। फिर फरियादी के जांघ में चढ़कर फरियादी के घुटने को मरोड़ दिया था। मौके पर योगेश गोंड ने बीच बचाव किया था। फरियादी ने घटना के बारे में उसके पिता मूलचंद सोनी एवं सुरेश पन्ने को जाकर बताया था। पुलिस ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की

रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गढ़ी में अपराध क्रमांक-61/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

3- प्रकरण में अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया, समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-03/11/2012 को शाम 05:30 बजे ग्राम परसाटोला ज्ञानी गौंड के घर के सामने मेन रोड थाना गढ़ी अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी रमाशंकर को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को धारदार नाखून से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण उक्त सभी विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7- रमाशंकर अ.सा.01 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष के अंदर की है। घटना दिनांक को साक्षी मंवेशी लेकर खेत से वापस उसके घर जा रहा था तो अभियुक्त ने उसके पशु को कांजीहाउस साक्षी के द्वारा पहुचाने की बात को लेकर मादरचोद तेरी मां को चोदू की अश्लील गालियां दी थी, जो साक्षी को सुनने में बुरी लगी थीं। तब साक्षी ने अभियुक्त की गालियों का विरोध किया था तो अभियुक्त ने साक्षी की कालर पकड़कर साक्षी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की थी। जिससे साक्षी के

चेहरे के बायीं ओर, गले पर, हाथ, पैर में चोट आयी थी। घटना के बाद साक्षी का पिता साक्षी को बचाने के लिए रोड पर आया था। साक्षी ने अभियुक्त के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ी में की थी जो प्र.पी.01 है। साक्षी का ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने साक्षी की निशांदेही पर प्र.पी.02 का मौकानक्शा बनाया था एवं साक्षी के कथन लिये थे। दिनेश पाल सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.03 का कथन है कि उसने फरियादी रमाशंकर की मौखिक रिपोर्ट पर से अपराध क्र. 61/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध लेखबद्ध की थी जो प्र.पी.01 है एवं फरियादी की निशांदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.02 बनाया था।

8— योगेश धुर्वे अ.सा.05 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि घटना कब की है उसे पता नहीं है। उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। उसके सामने कोई विवाद नहीं हुआ था। पुलिस ने साक्षी के कोई कथन नहीं लिये थे। पुलिस ने साक्षी के बयान कैसे लिख लिया था, साक्षी को पता नहीं है। साक्षी ने प्र.पी.05 के पुलिस कथन ए से ए भाग साक्षी को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को ऐसा कथन देने से इंकार किया है।

9— सुरेश परते अ.सा.06 का कथन है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। उसके सामने अभियुक्त और फरियादी सम्हारू का कोई विवाद नहीं हुआ था। साक्षी ने पुलिस को बयान नहीं दिया था। साक्षी ने प्र.पी.06 के पुलिस कथन का ए से ए पुलिस को देने से इंकार किया है।

10— मूलचंद अ.सा.02 का कहना है कि फरियादी रमाशंकर उसका पुत्र है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पिछले वर्ष की जून-जुलाई की है। अभियुक्त सम्हारू उसके पुत्र के साथ हाथ से मारपीट कर रहा था। अभियुक्त के हाथ में डंडा भी था। साक्षी ने उसका बीच बचाव किया था। साक्षी का पुत्र गिर गया था साक्षी ने उसके पुत्र को उठाकर पानी पिलाया था। साक्षी को अभियुक्त गाली दे रहा था। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 03.11.2012 की शाम 05:30 बजे की है। घटना के समय वह घर पर था तब साक्षी के घर पर आकर सुरेश व योगेश ने बताया था कि अभियुक्त सम्हारू रमाशंकर को रोड पर पकड़कर मारपीट कर रहा है। अभियुक्त घटना के समय साक्षी के पुत्र के साथ मारपीट कर रहा था।

11— एन.एस.कुमरे अ.सा.04 का कहना है कि वह दिनांक 04.11.2012 को

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को पुलिस थाना गढ़ी के आरक्षक चंदनलाल क 490 आहत रमाशंकर सोनी को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। चिकित्सक ने आहत का परीक्षण करने पर आहत को निम्न उपहृतियां पायी थीं— चोट क01 एब्रेजन जो कि दो थे जो एक गुणा एक चौथाई इंच लिये, एक दूसरे के समांतर भूरा कालापन लिये गले की दाहिने तरफ पाया था। चोट क02 कंटूजन जो कि आधा गुणा आधा इंच लिये अण्डाकार भूरा कालापन लिये उक्त चोट नाक के उपर पायी थी। चोट क03 कंटूजन आधा गुणा आधा इंच लिये अनियमित किनारे उक्त चोट उपरी होंठ पर मध्य भाग पर पायी थी। चिकित्सक के मत में चोट क01 मनुष्य के नाखुन से आ सकती थी एवं चोट क 02, 03 मुक्का मारने से आ सकती थी। उक्त सभी चोटे मेडिकल परीक्षण से 24 घण्टे के अंदर की होकर साधारण प्रकृति की थी। प्र.पी.04 के मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन में चिकित्सक साक्षी के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक साक्षी का कथन है कि आहत को गर्दन, नाक और उपरी ओंठ के अतिरिक्त अन्य कोई चोट नहीं थी। चिकित्सक ने प्रतिपरीक्षण में सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि चोट स्वयं के द्वारा कारित की जा सकती थीं। चिकित्सक ने सुझाव में यह भी अस्वीकार किया है कि आहत को ओंठ में कोई चोट नहीं थी।

12— दिनेश पाल सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.03 का कथन है कि दिनांक 05.11.2012 को फरियादी रमाशंकर गवाह मूलचंद, योगेश, सुरेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। अभियुक्त को प्र.पी.03 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि उसने फरियादी एवं मूलचंद के बयान थाने में लिये थे। इस साक्षी ने उसके अनुसंधान के अनुरूप साक्ष्य दी है।

13— प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को गाली दिये जाने का प्रश्न है इस संबंध में फरियादी रमाशंकर अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे मादरचोद की गालियां दी थी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। प्रकरण में अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने उनके सामने फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां दी थी। प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि अभियुक्त ने फरियादी को बहन चोद, तेरी मां को चोदू की गंदी-गंदी गालियां दी थी। रमाशंकर अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा दिये गये अश्लील शब्दों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है इस कारण यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने फरियादी को

लोक स्थान पर अश्लील गालियां देकर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था।

14— अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में रमाशंकर अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट कर चेहरे के बायीं ओर गले में, हाथ पैर में चोट आना बताया है। प्रकरण का साक्षी मूलचंद अ.सा.02 घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। मूलचंद अ.सा.02 के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में घटना के संबंध में विरोधाभास है। मूलचंद ने पुलिस को पुलिस कथन देने से इंकार किया है। मूलचंद अ.सा.02 की साक्ष्य से घटना का समर्थन होना नहीं माना जाता है। प्रकरण के अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में फरियादी के साथ हुई मारपीट की घटना का समर्थन नहीं किया है। परंतु रमाशंकर अ.सा.01 ने उसके साथ हुई मारपीट के संबंध में उसकी साक्ष्य से प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि की है। चिकित्सक एन.एस.कुमारे अ.सा.04 की साक्ष्य से एवं उनके प्र.पी.04 के मेडिकल प्रतिवेदन से भी फरियादी की उपहति का समर्थन होता है। इस कारण यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को धारदार नाखून से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया था।

15— प्रकरण में फरियादी रमाशंकर अ.सा.01, मूलचंद अ.सा.02, योगेश धुर्वे अ.सा.05, सुरेश परते अ.सा.06 ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी रमाशंकर को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

16— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-2 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण की विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

17— अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए

स्थगित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट म.प्र.

// दण्डाज्ञा //

18- अभियुक्त को आपराधी परीक्षा अधिनियम की धारा-4 के उपबंधों का लाभ दिये जाने पर विचार किया गया। अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। किन्तु अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को उक्त उपबंधों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

19- दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के अधिवक्ता श्री आर.आर.पटले को सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जावे। अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं 300/- (तीन सौ रुपये) के अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताये जावे। अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं 200/- (दो सौ रुपये) के अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को 10 दिन का साधारण कारावास भुगताये जावे। फरियादी को अभियुक्त ने नाखुन से खरौंच की चोट पहुँचाई थी एवं प्रकरण पांच वर्ष से अधिक पुराना है, इस कारण अभियुक्त को कम सजा से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को दिये गये दण्ड से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है।

20- अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21- प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित

व

दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट